-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 16.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना मटौंध पुलिस द्वारा दीवाल तोडकर आभूषण चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण,नगद रुपये समेत अवैध तंमचा व कारतूस बरामद ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.07.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा दीवाल तोडकर आभूषण चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना मटौंध क्षेत्र के रहने वाले इन्द्रजीत प्रजापति द्वारा दिनांक 13/14.05.2026 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा घर की दीवाल तोडकर आभूषण चोरी कर लेने के संबंध में थाना मटौध पर सूचना दी । । सूचना पर थाना मटौध पर में मु0अ0सं0-95/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे । इसी क्रम में आज दिनांक 17.07.2026 को थाना मटौंध पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गोयरा तिराहा थाना मटौंध के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण नगद रुपए समेत अवैध तंमचा व कारतूस बरामद हुये है ।

बरामदगी-

- 01 बिछिया वजन 25 ग्राम (सफेद धातु)
- 02 पायल वजन 50 ग्राम (सफेद धातु)
- 01 विछुवा वजन 125 ग्राम (सफेद धातु)
- 01 तमंचा 12 बोर
- 01 जिंदा कारतूस 12 बोर
- 2900 नगद रुपये (चोरी के आभूषण की बिक्री से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. पिण्टू पुत्र नन्दकिशोर निवासी इन्द्रपुर थाना किसनी जनपद मैनपुरी ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 95/26 धारा 331(4)/305(a) बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि श्री काशीराम यादव थाना मटौंध
2. उ0नि श्री मणिशंकर मिश्रा
3. कां0 पुष्पेन्द्र कुमार